

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2014/श्रावण 8, 1936

No. 229] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2014/SHRAVANA 8, 1936

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2014

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (धनीय शास्ति की वसूली की रीति) संशोधन विनियम, 2014

सं. आर-40007 / संदर्भ – वसूली / अधि. / 04 – सीसीआई. – प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2013 का 12) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग एतद्द्वारा भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (धनीय शास्ति की वसूली की रीति) विनियम, 2011 में संशोधन हेतु भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (धनीय शास्ति की वसूली की रीति) संशोधन विनियम, 2014 के माध्यम से निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ होना.— क. इन विनियमों को भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (धनीय शास्ति की वसूली की रीति) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।
 - ख. ये अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- 2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (धनीय शास्ति की वसूली की रीति) विनियम, 2011 में प्रारूप एक में पैराग्राफ ''आपके द्वारा पूर्वोक्त अविध के भीतर आयोग द्वारा अधिरोपित पूर्ण मांग के संदाय में असफल होने की दशा में, आयोग ऐसी कार्रवाई करेगा जिसे वह विधि के अनुसरण में करना आवश्यक समझे'' के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः :—

इसके अतिरिक्त, आयोग इसके आदेशों का अनुपालन न करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने के अतिरिक्त इस संबंध में देय राशि की वसूली हेतु आवश्यक कदम भी उठाएगा।"

रिमता झिंगरन, सचिव

[विज्ञापन III / 4 / असा. / 187-एम / 14]

टिप्पणी : मुख्य विनियम दिनांक ८ फरवरी, २०११ के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड ४ में अधिसूचना सं. एफ.सं. आर-४००७७ / संदर्भ-वसली / अधि. / ०४-सीसीआई के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

3040 GI/2014 (1)

COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2014

The Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Amendment Regulations, 2014

- **No. R-40007/Reg-Recovery/Noti/04-CCI.**—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Amendment Regulations, 2014 to amend the Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations, 2011, namely:—
- 1. **Short title and commencement.—**(1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Amendment Regulations, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations, 2011, in Form I, for the paragraph, "In case you fail to deposit the entire demand imposed by the Commission within the aforesaid period, the Commission shall take any action as it deems necessary in accordance with law", the following paragraphs shall be substituted, namely:—

"In case you fail to deposit the penalty amount, i.e........... (RupeesOnly) within the aforesaid period, you shall be liable to pay simple interest @ 1.5% for every month or part of a month comprised in the period commencing from the date immediately after the expiry of the period mentioned in this demand notice and ending with the date on which the demand is paid.

Further, the Commission shall also take necessary steps for recovery of the sum so due besides initiating actions for non-compliance of the order(s) of the Commission".

SMITA JHINGRAN, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./187-M/14]

Note: Principal Regulations published *vide* Notification No. F. No. R-40007/Reg-Recovery/Noti/04-CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 8th February, 2011.